



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 12.05.2025

थाना जमालपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ₹ 15 हजार के ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

'सोमेन बर्मा' वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 11.05.2025 को थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि. से सम्बन्धित ₹ 15 हजार के ईनामियां वांछित अभियुक्त लखन विश्वकर्मा पुत्र भारत लाल विश्वकर्मा निवासी रामपुर कलां थाना चकिया जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0- 71/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. लखन विश्वकर्मा पुत्र भारत लाल विश्वकर्मा निवासी रामपुर कलां थाना चकिया जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-92/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि. थाना जमालपुर मीरजापुर।

मु0अ0सं0- 71/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी लालजी यादव व मुख्य आरक्षी बृज किशोर शर्मा एसओजी पुलिस टीम।

